(ख) इस इकाई के बन्द कर देने का क्या कारण है; और

(ग) इस कार्य को पुनः चालू करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, इस इकाई ने अप्रैल, १९६३ से काम आरम्भ किया, इस बीच यह कई बार बन्द होती रही। अब यह २-२-१९६३, जो कि बन्द होने का सब से लम्बा अर्सा है।

(ख) एक्सप्रेसर्स में तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों में कुछ लम्बी खराबी होती रही है।

(ग) रूमानिया का एक विशेषज्ञ दल आजकल रूमानिया के पेट्रोलियम उपमंत्री के नेतृत्व में गोहाटी में इसका व्यापक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि इस मिट्टी के तेल की इकाई को सन्तोषजनक ढंग से चालू किया जा सके।

निवेली में तापीय केन्द्र

†२११. **श्री सेझियान** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव आया है कि निवेली के तापीय केन्द्र की क्षमता में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो बिस्तार से यह क्या है; और

(ग) इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) :

निवेली के तापीय केन्द्र की क्षमता तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत २,५०,००० किलोवाट से बढ़ा कर, ४,००,००० किलोवाट कर दी जायेगी। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में इस क्षमता को ४,००,००० किलोवाट से बढ़ा कर ६,००,००० किलोवाट कर देने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्तावों की पूर्व सूचनाओं के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : सर्वश्री त्रिदिब कुमार चौधरी और अ० क० गोपालन द्वारा कल प्रस्तुत किया गया स्थगन प्रस्ताव और पांच अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पांच ध्यान दिलाने की सूचनायें सभा के सम्मुख हैं। अब प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे।

वायस आॅफ अमेरिका के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आल-इंडिया रेडियो के विदेशी प्रसारों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान पहले भी कई बार आकर्षित किया जा चुका था, और इस ओर ध्यान देना उस समय और भी

---

†मूल अंग्रेजी में

ज़रूरी हो गया जब १९६२ के अंतिम भाग में चीनियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, विशेषकर जब चीनी प्रसार सेवाओं के द्वारा विभिन्न भाषाओं में विभिन्न भारतीय प्रदेशों, सीमांत क्षेत्रों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ़्रीका के देशों में भी भारत सरकार के विरुद्ध गंदा और ज़हरीला प्रचार किया जाने लगा। नवम्बर, १९६२ में यह निर्णय किया गया कि उच्च शक्ति प्रसारक प्राप्त करने की दिशा में यह पता लगाया जाए कि जिन देशों से ऐसे प्रसारक मिल सकते हैं, क्या वे हमें उन्हें सुविधाजनक शर्तों पर देने को तैयार होंगे।

एक उच्च शक्ति-प्रसारक प्राप्त करने की संभावनाओं की खोज करने के लिये जो निर्णय किया गया था उसके अनुसार जो प्रारंभिक जांच पड़ताल की गई उससे यह पता लगा कि ऐसा प्रसारक केवल वायस आफ़ अमेरिका के पास है और वह जल्दी मिल भी सकता है। मार्च, १९६३ वॉयस आफ़ अमेरिका ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह सूचित किया कि किन्हीं शर्तों पर वह ऐसा प्रसारक देने को तैयार है। चूंकि चीनी प्रचार का निराकरण करने के लिए हमें एक उच्च शक्ति प्रसारक की सख्त ज़रूरत थी इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि पता लगाया जाए कि वायस आफ अमेरिका से हमें यह प्रसारक किन शर्तों पर मिल सकता है।

१९६३ के मार्च, से जून तक, समय समय पर, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत होती रही। जो प्रसारक भारत के नियंत्रण में होगा उसके द्वारा ब्वायस आफ़ अमेरिका के प्रसारण होने में कठिनता उपस्थित होगी, इसका अनुभव किया जा चुका था, फिर भी दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि बातचीत जारी रक्खी जाए और देखा जाए कि प्रसारक मिलने की क्या शर्तें सामने आती हैं।

दो तीन मौकों पर मुझ से सलाह ज़रूर ली गई मगर किसी भी दर्जे पर मैंने पूरे मामले पर गौर नहीं किया। फिर भी करार पर हस्ताक्षर करने के पहले इस मामले का ज़िक्र, संक्षेप रूप में, मुझसे किया गया और इस कारण मुझे इसकी जबाबदेही लेनी ही चाहिए।

इसके बाद जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का क़रार हमारी सामान्य नीति और इच्छा के अनुरूप नहीं है और यदि हम इस पर आगे बढ़े तो भारत में ही भारत-अमेरिका सम्बन्ध विवाद का विषय बन जाएगा; साथ ही हम चीनी रेडियो के भारत विरोधी प्रचार का निराकरण करने में भी सफल न हो सकेंगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमने इन मामलों को संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के साथ उठाया है और हमारी बातचीत इस पर चल रही है कि ऊपर बताई गई मुश्किलों का सामना किस तरह किया जाए। यह बातचीत अभी चल रही है। कोई भी निर्णय हो, वह निश्चय ही हमारी आधारभूत नीति के अनुरूप होगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): कुछ प्रश्नों के पूछने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: चाहे स्थगन प्रस्ताव हो या ध्यान दिलाने की सूचना, यदि हमें मालूम हो कि आगे इस विषय पर चर्चा होगी तो पहले ही उन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये १९, २० और २१ अगस्त, निश्चित कर दिये गये हैं। अगर उस पर चर्चा के दौरान इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई तब मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री प्रिय गुप्त: आपने कहा कि आपने जो नो कोनफिडेन्स मोशन एडमिट किया है और जिसके लिये आपने तीन दिन का समय दिया है; उसके सिलसिले में वाइस ऑफ अमरीका पर

---

†मूल अंग्रेजी में

बहस की जा सकती है। मगर सब पार्टियों का तो वह मोशन नहीं था। वाइस ऑफ अमरीका का मोशन तो कम्युनिस्ट पार्टी ने रखा था। हमने नहीं रखा। इस समय आप वाइस ऑफ अमरीका पर चर्चा करने का अधिकार किस प्रकार छीन सकते हैं। आपका यह विनिर्णय हम पर नहीं अपितु साम्यवादी दल पर लागू होता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कहने की इज़ाजत दीजिए। आप ज़रा बैठ जाइए। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो मोशन दिया गया था उसमें वायस ऑफ अमेरीका का ज़िक्र था।

श्री प्रिय गुप्त : वह तो ड्रापआउट हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कह लेने दीजिए। दूसरी जो तहरीक़ दी गई उसमें कोई हद नहीं लगायी गई, कोई रिजन्स नहीं दिए गए, उसमें कोई सबजेक्ट भी बाहर नहीं किया हुआ है। सिर्फ़ दो लाइन का मोशन है और मेरे अपने ख्याल से उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिये उसमें कोई मेम्बर कोई भी सबजेक्ट उठा सकता है। उसमें किसी किस्म की पाबन्दी नहीं है। जो मोशन कम्यूनिस्ट पार्टी का था उसके सपोर्ट में ५० आदमी खड़े नहीं हुए, इसलिये वह मूव नहीं हो सका, लेकिन जो मोशन एडमिट हुआ है उसमें कोई हदबन्दी नहीं है कि कौनसा सबजेक्ट लिया जाएगा। वह बगैर किसी लिमिटेशन के है, उसमें किसी खास सबजेक्ट का ज़िक्र नहीं और न कोई रीजन्स दिए गए हैं। उसको एडमिट किया गया है। उसके बारे में मैंने कहा है: मैं उस चर्चा के समाप्त होने तक उन्हें रोके रखूंगा। यदि उन पर उस चर्चा के दौरान चर्चा नहीं हुई तब मैं इसके लिए फिर अवसर दूंगा।

†**श्री प्रिय गुप्त :** समय बचाने के लिये मेरा यत्न अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वाइस ऑफ अमेरीका पर चर्चा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसलिए इसी समय हमें अवसर क्यों नहीं दिया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा के सम्मुख अवसर प्राप्त होने पर कोई भी सदस्य उस पर चर्चा कर सकता है। यदि वह उस समय चर्चा नहीं करता तो फिर उसे और कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने जो रूलिंग दिया है उसको तो मैं मानता हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव सदन के सामने है वह स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए उसकी बहस शुरू होने के पहले इन दो चार दिनों में कोई चीज देश में हो जाए, वायस ऑफ अमरीका को छोड़ कर कोई दूसरी घटना किसी हड़ताल आदि के सिलसिले में हो जाए, वह चीज़ भी उसमें आवेगी या नहीं। अगर कोई ऐसी घटना देश में हो जाए तो उसके बारे में अलग से सवाल उठाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आपके इस रूलिंग से मेम्बरों का राइट काफी करटेल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी हाईपाथिटिकल सवाल का जवाब देने के लिये तैयार नहीं हूं जो चीज़ मेरे सामने है उसका जवाब मैंने दिया। जब कोई नई घटना होगी तो उसके बारे में कहा जाएगा। अभी जो चीज़ सामने है उसका जवाब दे दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी : डिफेंस ग्रॉफ इंडिया रूल्स को किस नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है यह ग्राप उसमें एलाऊ करेंगे या नहीं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप बैठ जाइये ।

†**श्री कपूर सिंह :** श्रीमान् ग्रापके विनिर्णय के संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । किसी विषय पर चर्चा करना ग्रौर उस विषय के संबंध में जानकारी मांगना, इन दोनों बातों में ग्रन्तर है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिये । ग्रविश्वास प्रस्ताव के समय इन विषयों पर चर्चा होगी ग्रौर इस समय हम प्रधान मंत्री से केवल जानकारी चाहते हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : यही मैं भी कहना चाहता था । ऐसे विषयों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को एक प्रश्न पूछने की ग्राज्ञा दी जाती है, ग्रापने भी दी है ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** संभव है किसी दूसरे ग्रवसर पर, बाद में, मैं प्रश्न पूछने की ग्रनुमति दूं । माननीय सदस्य इसी समय इतने ग्रधीर क्यों हो रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुग्रा** (गोहाटी) : वे प्रश्न प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से संबंधित हैं; बाद को उनका प्रभाव ग्रौर शक्ति उतनी नहीं रहेगी ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** इस समय मेरा कथन यही है कि इसके लिये ग्रवसर मिलेगा । यदि उस ग्रवसर का उपयोग नहीं किया गया तो मैं इसके बाद प्रश्न पूछने का ग्रवसर दूंगा । चार दिन के विलम्ब से कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता ।

†**श्री नाथ पाई :** मेरा विचार है कि यदि इस समय कुछ संगत प्रश्न पूछने की ग्रनुमति दे दी जाये तो उनके उत्तरों के प्रकाश में ग्रविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा ग्रधिक उपयोगी होगी ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को यह समझ लेना चाहिये कि यह बात को दोहराना होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ग्रविश्वास के प्रस्ताव को देने वाले दो तरह के लोग हैं । एक पछतावे के साथ दे रहे हैं ग्रौर दूसरों का मन पिछले पन्द्रह वर्ष से पका हुग्रा है । इसलिए यह जरूरी है कि यह ग्रविश्वास के प्रस्ताव की बहस बहुत बड़ी बड़ी व्यापक बातों पर रक्खी जाय । तीन दिन की बहस में यह तो बड़ा मुश्किल होगा जोकि मैं पहले कह दूं कि कुछ लोगों को ज्यादा मन पर रुकावट है ।

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहनी है कि ग्रविश्वास का प्रस्ताव ग्राने में ग्रभी कुछ दिन हैं । बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे युद्धकोष पर ग्रौर युद्ध प्रयत्नों पर बड़ा प्रतिकूल ग्रसर पड़ रहा है । कल, परसों में हो सकता है कि मामला बहुत बिगड़ जाय ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** जब कोई मामला होगा तब देखा जायगा । मगर वायस ग्रॉफ ग्रमेरिका के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उस पर ग्रभी गौर किया जा रहा है । चार दिन की देर से उसमें कोई चीज नहीं बिगड़ जायेगी ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में :

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर रखे जायें। श्री कृष्णमाचारी।

श्री बागड़ी : ऑन ए प्वाएंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री राम सेवक यादव : एक जानकारी के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं। प्रश्न सामने वायस ऑफ अमेरिका का था। क्या आपकी यह व्यवस्था दूसरे जो स्थगन प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में भी है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका जवाब आपको अलहदा मिलेगा। सबके जवाब में नहीं है। कइयों पर लागू होती है और कइयों पर नहीं होगी।

श्री राम सेवक यादव : आपने कहा कि कुछ घटनाएं घट रही हैं। बम्बई में जैसी महत्वपूर्ण घटना घट रही है उसका सुरक्षा प्रयत्नों पर असर पड़ रहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें कोई चीज़ नहीं ला सकते। अगर कोई चीज़ हुई हो तो आप उसे मेरे सामने लायें।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार): बम्बई के तीस हजार सिविल एम्पलाईज स्ट्राइक कर रहे हैं। यह बहुत ही अरजेंट मैटर है . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रिय गुप्त : सुरक्षा यत्नों पर इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रिय गुप्त अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, बम्बई की हड़ताल हाउस के सामने है। ऐडजोर्नमैंट मोशन उसके सामने आया। ३०,००० आदमी जो इस देश के सबसे पिछड़े हुए लोग . . .

अध्यक्ष महोदय : प्वाएंट ऑफ आर्डर आपका क्या हुआ ? आप सिर्फ अपना प्वाएंट ऑफ आर्डर बतलायें।

श्री बागड़ी : वाकयात बयान कर के मैं उसे बता रहा हूं क्योंकि तभी सदन उसे समझेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, सारे वाकयात को इस तरह से डिसकस नहीं करना चाहिए। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। वह सीधे अपनी बात पर आजायें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्वाएंट ऑफ आर्डर है कि सदन के सामने यह चीज़ आई हुई है कि ३०,००० लोग बम्बई में हड़ताल पर हैं। ४००, ५०० व्यक्ति वहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। वहां पर काफी टेंशन है और हो सकता है कि वहां पर गोलियां चलने की नौबत भी आ जाय और ऐसी नाजुक घड़ी में देश की हालत बिगड़ जाय . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाएंट ऑफ आर्डर नहीं है खाली मैम्बर साहब अपनी बात कहना चाहते थे। अब माननीय सदस्य बैठ जायं।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : श्रीमान् मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। नियम १९७ के अधीन जब कोई सदस्य ध्यान दिलाने की सूचना देते हैं तब उन्हें और दूसरे सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। अब आप नई प्रथा कायम कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह आप किस नियम के अधीन कर रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कोई नई प्रथा कायम नहीं कर रहा। यदि कोई स्थगन प्रस्ताव रखा जाये। तब उस सारे पर चर्चा होगी, ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा होने तक प्रतीक्षा की जाये क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि अभी उस संबंध में चर्चा चल रही है।

†**श्री नाथ पाई :** क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि प्रक्रिया नियमों को कुछ सीमा तक तथ्य समझा जाये क्योंकि जिस समय हमने यह नियम बनाये थे उस समय हमें आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ रहा था। कम से कम जब अत्यधिक महत्व के प्रश्न पूछे जायें तब तो ऐसा किया ही जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हमें अवसर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कई बार कहा है कि यदि कोई सदस्य मेरे निर्णय से असंतुष्ट हों तो वे बाद को मुझसे आकर मिल सकते हैं। मुझे कुल तीस या चालीस सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यदि सूचनायें देने वाले सब सदस्य प्रश्न पूछना चाहें तो उनका उत्तर दिया जाना कहां तक संभव होगा।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मई-जून, १९६३ में कैनेडा, अमेरिका और ब्रिटेन यात्रा के बारे में एक वक्तव्य

†**वार्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मैं मई–जून, १९६३ में अपनी कैनेडा, अमेरिका और ब्रिटेन यात्रा के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३७८/६३।]**

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वायस आफ अमेरिका का मामला यह समझा गया कि वह खत्म हुआ इसलिए उसको मैं इस समय खत्म किये देता हूं। लेकिन अब एक दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उसके सम्बन्ध में है जोकि पढ़ा गया है?

डा० राम मनोहर लोहिया : दोनों के बीच में है। **[इंटरप्शन्स]**

---

†मूल अंग्रेजी में